



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30052026-273001  
CG-DL-E-30052026-273001

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2608]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 29, 2026/ज्येष्ठ 8, 1948

No. 2608]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 29, 2026/JYAISTHA 8, 1948

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2026

का.आ. 2701(अ).— केंद्रीय सरकार, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 143 की उपधारा (6) के अनुसरण में और श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1436 तारीख 9 जुलाई, 1998 और का.आ. 238, तारीख 11 जनवरी, 1998, को इन बातों को इन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निदेश देती है कि नियोजक को नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट स्कीम के उपबंधों से उक्त संहिता की धारा 143 के अधीन छूट प्राप्त स्थापन या स्थापनों के वर्ग या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के संबंध में, स्थापन के कर्मचारियों को तत्समय संदेय या यथास्थिति व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग द्वारा प्राप्य के लिए स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट दर पर निरीक्षण प्रभार का संदाय करे, जिसके संबंध में अंशदान, किन्तु ऐसी छूट के लिए प्रत्येक मास के समापन से पंद्रह दिन के भीतर, उक्त सारणी के स्तंभ (5) में उल्लिखित प्रशासन खाते के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम रकम के अधीन, संदेय हुआ होता।

## सारणी

क्र.सं.	से छूट प्राप्त	निरीक्षण प्रभार की दर (मजदूरी का प्रतिशत)	न्यूनतम निरीक्षण प्रभार (रुपये में)	को संदेय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(i)	कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952	0.35	8750	भविष्य निधि प्रशासन खाता
(ii)	कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976	0.005	1250	बीमा निधि प्रशासन खाता

[फा. सं. एस-35025/19/2026-एसएस-II]

तेजस्वी एस. नायक, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

## NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 2026

**S.O. 2701(E).**— In pursuance of sub-section (6) of section 143 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020) and in supersession of Ministry of Labour and Employment Notification number S.O. 1436 dated the 9<sup>th</sup> July 1998 and S.O. 238 dated 11<sup>th</sup> January 1998 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby directs that the employers in relation to an establishment or class of establishments or any person or class of persons exempted under section 143 of the said Code from the provisions of the scheme specified in column (2) of the Table below to pay inspection charges at the rate specified in column (3) for the time being payable to the employees of the establishment or receivable by the persons or class of persons, as the case may be, in respect of which contributions, would have been payable but for such exemption, subject to the minimum amount specified in column (4) to the administration account mentioned in column (5) of the said Table, within fifteen days of the close of every month.

TABLE

Sl. No.	Exempted from	Rate of Inspection charges (per cent. of wages)	Minimum Inspection Charge (in Rupees)	Payable to
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(i)	Employees' Provident Fund Scheme, 1952	0.35	8750	Provident Fund Administration Account
(ii)	Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976	0.005	1250	Insurance Fund Administration Account

[F. No. S-35025/19/2026-SS-II]

TEJASWI S. NAIK, Jt. Secy.